न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर
पीठासीन अधिकारी - सुनील आर्य (R.A.S.)

मु०नं० 06/2019

1- हरिओम पुत्र स्व० जगन जाति गूजर निवासी पथैना तहसील बयाना जिला भरतपुर

2- कस्तूरी पुत्री स्व० जगन जाति गूजर निवासी पथैना, तह० बयाना हाल निवासी शाहपुर तह० बाड़ी जिला - धौलपुर

3- राजवती पुत्री स्व० जगन पत्नी सुरा जाति गूजर निवासी पथैना तहसील बयाना हाल निवासी ग्राम अड्डा तहसील बयाना जिला - भरतपुर (राज०)

--- अपीलान्टस

बनाम :

1- ग्राम पंचायत पथैना, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत समिति - बयाना

2- गुड्डी पुत्री स्व० जगन पत्नी रामरूपाल जाति गूजर निवासी पथैना हाल निवासी ग्राम अड्डा तह० बयाना जिला - भरतपुर (राज०)

3- वीरवती पुत्री स्व० जगन पत्नी रामनिवास जाति गूजर नि० पथैना हाल निवासी ग्राम अड्डा तहसील बयाना जिला - भरतपुर (राज०)

4- जयश्री पुत्री स्व० जगन पत्नी रामचरन गूजर निवासी पथैना हाल निवासी शाहपुर तह० बाड़ी जिला धौलपुर (राज०)

5- मानसिंह पुत्र स्व० जगन गूजर निवासी पथैना तह० बयाना जिला भरतपुर (राज०)

6- शकुन्तला पत्नी स्व० जगन जाति गूजर निवासी पथैना तहसील बयाना जिला भरतपुर

7- सीताराम पुत्र स्व० जगन जाति गूजर निवासी पथैना तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

--- रेस्पोण्डेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:30:04 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरुद्ध आदेश तारीख 25.6.2015
ग्राम पंचायत पऐंजा व जिला भरतपुर
दा० खा० सं० 486 ग्राम कोट
तह० बयाना

दिनांक 02/11/2020

निर्णय

उपस्थिति -
(I) श्री भगवान सिंह गुर्जर एड० अपीलार्थी
(II) श्री अतर सिंह मीना एड० रेस्पो० संख्या 07

अपीलार्थी द्वारा यह अपील ग्राम पंचायत पऐंजा के निर्णय दिनांक 25/06/2015 दा० खा० सं० 486 ग्राम कोट के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कोट में जगन पुत्र नेकि निवासी - पऐंजा तहसील बयाना की आराजी खाता ख० नं० 1204 रकबा 0.26 हैक्टेयर है जिसमें जगन की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक जगन के विधिक वारिसानों के नाम ग्राम पंचायत पऐंजा द्वारा विरासतीय दा० खा० सं० 486 वाके ग्राम कोट दिनांक 25/06/2015 को खोल दिया जिससे मृतक जगन के स्थान पर राजस्व जमाबन्दी ख० नं० 1204 रकबा 0.26 हैं० वाके ग्राम कोट में विधिक वारिसानों के नाम दर्ज कर खातेदारी में अमल दर्ज कर दिया लेकिन ग्राम पंचायत पऐंजा द्वारा मृतक जगन के विधिक वारिसानों के सही नामों के बारे में जानकारी नहीं [illegible] के नामों से ही नामान्तकरण खोलते [illegible] स्वीकार कर लिया। जबकि मृतक जगन [illegible] वारिसान अपीलार्थ के नाम ओमी, कम्पोटर व [illegible] के नाम दा० खा० 486 में अंकित कर दिया। ये अपीलार्थ के घर के नाम है। अपीलार्थ के राजकीय व अन्य दस्तावेजों -

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested

मे शुद्ध नाम ओमी का हरिओम, कम्पोटर का कस्तूरी व रग्जो का राजवती है यही सही नाम है। ग्राम पंचायत ने प्र० प्रा० 486 दिनांक 25/06/2015 मे घर के नाम दर्ज कर दिए है। सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा मृतक जगन के सजरा की सही जानकारी किए बिना, मुहबोले नाम दर्ज कर भारी गलती की है साथ ही अपीलान्ट के राजकीय कागजात व दस्तावेजात की पूर्ण जानकारी नहीं की। सुयोग्य ग्राम पंचायत पटेला द्वारा प्र० प्र० संख्या 486 वाले ग्राम कोट मन्जूर होने के बाद जमाबन्दी में मृतक जगन के नाम राजस्व खाते में हरिओम के स्थान पर ओमी, कस्तूरी के स्थान पर कम्पोटर, राजवती के स्थान पर रग्गो दर्ज करने में भारी त्रुटि की है।

अपीलान्ट्स को प्र० प्रा० संख्या 486 वाले ग्राम कोट में अपीलान्ट के नामो के त्रुटि की जानकारी दिनांक 18/05/2019 को पटवारी हल्का द्वारा नकल प्राप्त करने पर हुई। अपील देरी से प्रस्तुती के लिए शपथ पत्र द्वारा 5 म्याद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया है।

अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्र० प्रा० संख्या 486 ग्राम कोट मे हुई त्रुटि के नामों को दुरस्त करने बाबत तहसीलदार बयाना को निर्देश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया। दिनांक 10/10/2019 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 स्वयं उपस्थित आए। साथ ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 07 की ओर से श्री जतन सिंह [illegible] एडवो० जरिए वकालतनामा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 लगायत 07 द्वारा दिनांक 10/01/2020 को अपील अपीलान्ट स्वीकार [illegible] मे अपना इकबाल अपील पेश किया साथ ही अपील अपीलान्ट स्वीकार करने मे अपनी सहमति अंकित की है। दिनांक 12/2/2020 को स्वयं अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

के हक में अपील स्वीकार करने में अपनी सहमती रखते हुए न्यायालय द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया।

हमने विद्वान अभिभाषक गणों को सुना। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया है। रेस्पो० संख्या 02 लगायत 07 के अभिभाषक द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार करने में अपनी सहमती जाहिर की है।

विद्वान अभिभाषक गणों को सुनने के उपरान्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपील प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आर० 5 म्याद अधि० के साथ नियम का पेश किया है साथ में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपील अपीलार्थी द्वारा म्याद अवधि में पेश की है। पत्रावली में संलग्न ना० क्र० से 486 बाबत ग्राम पंचायत की प्रमाणित नकल अनुसार उक्त ना० क्र० दिनांक 24/6/2015 को ग्राम पंचायत पलेजा द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसमें स्व० जगन के वारिसान का सजरा अंकित किया है सजरा अनुसार मृतक के वारिसान के नाम ना०क्र० स्वीकार किया गया है। ना० क्र० के कालम संख्या 09 में शकुन्तला पत्नी स्व० जगन, हीतराम, कौमी, मातादीन पि० जगन, जयश्री, कमलेश, हीरवती, राजो, गुड्डी पुत्रीयान जगन हि० ना० कौम गुजर सा० ... खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 20.. ... खाता नम्बर 1204 में नामान्तरण 486 ... दर्ज खातेदार के नाम अनुसार ही खातेदारान के नाम दर्ज अभिलेख है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested

(3)

अपीलार्थी द्वारा आधार कार्ड कस्तूरी, हरिओम, राजवती की छाया प्रति पेश की है। अपीलार्थी ओमी के स्थान पर हरीओम, कम्पोटर के स्थान पर कस्तूरी, राजो के स्थान पर राजवती दुरुस्त करवाना चाहते हैं। यह सत्य है कि (आधार कार्ड की छाया प्रति अनुसार) अपीलार्थी ओमी का शुद्ध नाम हरीओम, कम्पोटर का कस्तूरी, राजो का राजवती है। सुयोग्य ग्राम पंचायत पटेल द्वारा मृतक जगन के विरासत का नामान्तरण खोलते समय मृतक के वारिसान के सही व शुद्ध नाम की जानकारी नहीं कर मृतक के वारिसान के मुंहबोले नाम के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट ने भी अपील अपीलार्थी स्वीकार करने में दिनांक 12/02/2020 को सहमति न्यायालय द्वारा पेश की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश -

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाता है। नामान्तरण संख्या 486 बाबत ग्राम कोट निर्णय दिनांक 25/06/2015 खारिज किया जाता है। तहसीलदार बयाना को प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक जगन के विधिक वारिसान की विधिवत जाँच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। तहसीलदार बयाना को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)